

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

[शिक्षा मंत्रालय|भारत सरकार :

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, रायपुर

कैम्पस

सैक्टर-8, दीनदयाल उपाध्याय नगर

रायपुर, छत्तीसगढ़ 492010



Kendriya Vidyalaya Sangathan

[Ministry of Education, Govt. of India]

Regional Office, Raipur

Kendriya Vidyalaya. No.2, Raipur Campus

Sec-IV, Dindayal Upadhyay Nagar

Raipur, Chhattisgarh-492010

Website: www.kvsraipur.org, E-mail:- dckvsrorpr@gmail.com, ackvsrorpr@gmail.com, aokvsrorpr@gmail.com, fokvsrorpr@gmail.com

Tel : - 0771-2262912(DC) , 2262913 (AC),

फ. 32099 / 2022 / के.वि.सं.(सं.का.) / वरिष्ठ वेतनमान / आर.पी.आर. / प्र.अ. / 9460-9545 दिनांक: 16.03.2022

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE) की बैठक दिनांक 08.03.2022 की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं अन्य शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार वरिष्ठ वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 06 में दर्शाये तिथि से इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे 12 वर्ष की नियमित सेवा समान पद पर पूर्ण कर लिया हो। यदि किसी कारण से जो भी हो वे वरिष्ठ वेतनमान के लिए अयोग्य पाए जाते हैं तो यह आदेश वापस होगा एवं वे इस मद से प्राप्त किए गए धनराशि को वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ वेतनमान में एफ.आर.-22 (I) (ए) (2) में दिए प्रावधानों के अनुसार जो कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए लागू है, उनके वेतन का निर्धारण होगा। इसलिए उनके पास एक विकल्प होगा (i) कि वे नए वेतनमान में वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत दिनांक से वेतन निर्धारण चाहते हैं या (ii) वे नए वेतनमान में वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में वेतनवृद्धि के दिनांक से चाहते हैं। यदि व्यक्तिगत नए वेतनमान में वेतन निर्धारण पुराने वेतनवृद्धि के दिनांक से चाहने का विकल्प देते हैं, तो उनका वेतन उसी स्टेज पर यदि उपलब्ध है या अगला स्टेज पुराने वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि देने के पश्चात् वरिष्ठ वेतनमान में निर्धारण किया जाएगा। इस विकल्प का प्रयोग करना होगा एवं उसे संबंधित प्राचार्य को इस आदेश के तिथि से एक महीने के अंदर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति का विवरण निम्नलिखित है :-

(क) विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्न स्नातकोत्तर (पीजीटी) शिक्षकों को उनके पिछले 05 वर्षों का वार्षिक गोपनीय आख्या/वार्षिक कार्य निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ वेतनमान (SENIOR SCALE) स्वीकृति करने के लिए उपयुक्त पाया है :-

स्नातकोत्तर शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (Rs. 56100- Rs. 177500)

स. क्र.	शिक्षक का नाम	पदनाम	के.वि. जहाँ कार्यरत हैं	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	सुनील कुमार पाण्डेय	स्नाकोत्तर शिक्षक (हिन्दी)	बिलासपुर	29.07.2009	29.07.2021
2	सिमांचल प्रधान	स्नाकोत्तर शिक्षक (भौतिकी)	क्रमांक-1 रायपुर(शिफ्ट-I)	30.07.2009	30.07.2021
3	वसंत कुमार सिंह	स्नाकोत्तर शिक्षक (अंग्रेजी)	सीआईएसएफ भिलाई	04.08.2009	01.01.2022**
4	राजेश कुमार त्रिपाठी	स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित)	सीआईएसएफ भिलाई	24.07.2009	24.07.2021
5	दीपक कुमार चंद्राकार	स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित)	राजनांदगांव	28.07.2009	28.07.2021

**1st spell of 12 days inservice course(from 03.06.2015 to 14.06.2015) was not completed within preceding 6 years from due date of Senior scale. Hence he has been granted Senior Scale from the next day of completion of next 21 days in-service course.

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्न प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को उनके पिछले 05 वर्षों का वार्षिक गोपनीय आख्या/वार्षिक कार्य निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ वेतनमान (SENIOR SCALE) स्वीकृति करने के लिए उपयुक्त पाया है :-

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक को वरिष्ठ वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (Rs. 47600 - Rs. 151100)						
स. क्रं.	शिक्षक नाम	पदनाम	के.वि. जहाँ कार्यरत हैं	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ वेतन मान स्वीकृत करने का दिनांक	टिप्पणी
1	अमित धिरते	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सा.अध्ययन)	क्रमांक २ कोरबा (एनटीपीसी)	10.08.2009	10.08.2021	
2	डॉ विनीता पाण्डेय	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी)	चिरीमिरी	10.08.2009	10.08.2021	
3	अरविंद कुमार यादव	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव)	कांकेर	18.08.2009	18.08.2021	
4	एम के बोरकर	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सा.अध्ययन)	दुर्ग	03.10.1997	03.10.2009**	(P.B.Rs.9300-Rs.34800) GP.4800/- (As per 6 th CPC)

** कार्यालय आदेश सं. फ.32058 / 1 / 2012-13 / के.वि.सं.(सं.का.) / आर.पी.आर / 9181-2251 दिनांक 28.07.2013 में स्वीकृत वरिष्ठ वेतनमान तिथि में संशोधित करते हुए दिनांक 03.10.2009 से वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया।

(ग) विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्न प्राथमिक शिक्षकों को उनके पिछले 05 वर्षों का वार्षिक गोपनीय आख्या/वार्षिक कार्य निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ वेतनमान (SENIOR SCALE) स्वीकृति करने के लिए उपयुक्त पाया है :-


प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक को वरिष्ठ वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (Rs. 44900 - Rs. 142400)					
स. क्रं.	शिक्षक नाम	पदनाम	के.वि. जहाँ कार्यरत हैं	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ वेतन मान स्वीकृत करने का दिनांक
1	रागिनी उराँव	प्राथमिक शिक्षक	बिलासपुर	30.03.2009	30.03.2021
2	पेनुमर्थी वेंकट सुब्ब लक्ष्मी	प्राथमिक शिक्षिका	बिलासपुर	25.06.2009	25.06.2021
3	रवि कुमार अहीर	प्राथमिक शिक्षक	क्रमांक-1 रायपुर(शिफ्ट-I)	14.09.2009	14.09.2021
4	राधेश्याम बुधिया	प्राथमिक शिक्षक	रायगढ़	09.02.2009	09.02.2021
5	सम्राट पधान	प्राथमिक शिक्षक	रायगढ़	02.02.2009	02.02.2021
6	राम खिलावन कोरी	प्राथमिक शिक्षक	चिरीमिरी	13.09.2007	13.09.2019
7	शुभमय मुखर्जी	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	राजनांदगांव	17.09.2007	17.09.2019

3418 m

(६) विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्नलिखित शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कारण से वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया है—

क स०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	केवि० का नाम	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत नहीं होने के कारण
1	टेकेश्वर कुमार साहू	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव)	क्रमांक-1 रायपुर(शिफ्ट-1)	11.03.2010	In-service course not completed within preceding 6 years from due date of senior scale.

कुल —05+04+07+01 = 17 प्रकरण


(विनोद कुमार)
उपायुक्त

वितरण :-

1. संबंधित शिक्षकगण।
2. प्राचार्य संबंधित केन्द्रीय विद्यालय से अनुरोध है कि इस आदेश की पर्याप्त मात्रा में छायाप्रति करके उनके विद्यालय के संबंधित शैक्षिक कर्मचारियों को उचित पावती के साथ सौंप दें। कृपया संबंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि करें तथा उसे अपने हस्ताक्षर व मोहर के साथ सत्यापित अवश्य करें और इस आदेश की एक प्रति कर्मचारी की व्यक्तिगत पंजिका में फाईल करें। संबंधित शैक्षिक कर्मचारी के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा किया जाएगा। अतः वेतन निर्धारण के लिए संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मय वेतन निर्धारण का प्रस्ताव व विकल्प के साथ इस कार्यालय को भेजें। उपर्युक्त शैक्षिक कर्मचारियों के पास वरिष्ठ वेतनमान का लाभ पाने के लिए एक माह का समय होगा कि वे वरिष्ठ वेतनमान के तहत लाभ पाने के लिए वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत होने की तारीख अथवा वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं। विद्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर शैक्षिक कर्मचारियों को वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया है, अतः उपर्युक्त आदेश से मिलान करें। अगर कोई विसंगति (If any absence/ Die-Non period/Debarment period/ currency of penalty etc.) पाई गई तो तुरंत इस कार्यालय को अवगत कराएं। वेतन निर्धारण के पश्चात् वेतन एवं भत्तों के बकाया का भुगतान करें। संबंधित शैक्षिक कर्मचारियों से इस आशय का एक घोषणा पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाए कि वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विसंगति भविष्य में पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापस लिया जाएगा।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त प्राचार्य केविसं० क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अंतर्गत।
7. सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक संघों के सचिव एवं अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।
8. गार्ड फाईल।